

Court F.R. 06/2026

तारीख हुक्म

न्यायालय: अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी  
एफ आई आर संख्या 05/2025-26  
राज्य बनाम अज्ञात  
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नं० व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील में  
जारी हुए

दिनांक 06.01.2026

अभियोजन अधिकारी ने आबकारी थाना बून्दी शहर की एफआईआर सं. 05/2025-26, धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में अन्तिम प्रतिवेदन अदम पता माल मुलजिम में पेश किया है। जिस पर कार्यालय की रिपोर्ट ली गई। बाद कार्यालय रिपोर्ट एफ.आर. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफ.आर. दर्ज रजिस्टर हो।

इस पर एफ.आर. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। एफ.आई.आर. सं. 05/2025-26, धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में दर्ज हुई थी। जिसमें बाद अनुसंधान अन्तिम प्रतिवेदन अदम पता माल मुलजिम में पेश हुई है। सुना गया। एफ.आर. पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत अन्तिम प्रतिवेदन में अनुसंधान अधिकारी द्वारा दिये गये अनुसंधान मे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से आबकारी थाना बून्दी द्वारा प्रस्तुत एफआर स्वीकार की जाती है। केस डायरी पी.ओ. को लौटावे।

पत्रावली वास्ते फैसल आदेश हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 14.03.2025 को पेश हो।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
बून्दी (राज०)

14/3/26 यह पत्रावली भाज राष्ट्रीय लोक अदालत में फैसल आदेश हेतु रखी गई। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही बाक नहीं है। पत्रावली फाइल शुभार होकर वापस दारखिला, दारखिल अफिलेसवागर है।

अध्यक्ष  
राष्ट्रीय लोक अदालत बेंच नं०.....

सचिव